



UPKU100052402020

**न्यायालय Civil Judge (S.D.)/ Addl Chief Judicial Magistrate Kasia
Kushinagar, Kushi Nagar**
पीठासीन अधिकारी- (Shailesh Pandey), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02093

Warrant or Summons Criminal Case/2655/2020
State Government of Uttar Pradesh Vs. RAJESH PATEL

थाना - KUBERSTHAN

आदेश

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक : 27-04-2022

मु.नं. – 2655/2020 (मु.अ.सं.-91/2019), धारा 60 आबकारी अधि०, थाना-कुबेरस्थान, जिला-कुशीनगर के प्रकरण में अभियुक्त राजेश पटेल पुत्र बैजनाथ सिंह द्वारा जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा चुका है।

सुना। अपराध अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधि० जमानतीय है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त राजेश पटेल पुत्र बैजनाथ सिंह द्वारा रुपये 20,000/- का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू व उसका बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त कर दिया जाये।

शैलेश पाण्डेय
सिविल जज (एस.डी.)/ए.सी.जे.एम.
कसया, कुशीनगर।